बिहार सरकार,
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

पटना–15, दिनांक–.........जुलाई, 2018

विषयः–कृषि उत्पादन आयुक्त की अनुपस्थिति में विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त द्वारा किये जाने के संबंध में।

राज्य सेवाओं/संवर्गों के वैसे पदों, जिन पर नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श एवं सहमति की आवश्यकता नहीं है, पर कर्मियों की नियुक्ति/प्रोन्नति के निमित चयन/अनुशंसा करने हेतु तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प सं0–2653 दिनांक–28.02.1989 के द्वारा ''विभागीय प्रोन्नति समिति'' का गठन किया गया है। संकल्प के परिशिष्ट–''ग'' के तहत राज्य सरकार के विभागों को उनकी कार्य प्रकृति के अनुसार चार समूहों में विभक्त करते हुए प्रत्येक समूह के लिए अलग–अलग विभागीय प्रोन्नति समिति गठित की गई है। प्रत्येक समूह के लिए समिति की अध्यक्षता का दायित्व मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव स्तरीय पदाधिकारियों को दिया गया है। समूह ''ग'' के विभागों (विकासात्मक विभाग) के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता का दायित्व कृषि उत्पादन आयुक्त को दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कृषि उत्पादन आयुक्त का पद रिक्त रहने अथवा उपार्जित/लम्बी अवधि तक अवकाश की स्थिति में प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

2. **अतः उपर्युक्त परिस्थिति के निराकरण हेतु समुचित विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि कृषि उत्पादन आयुक्त का पद रिक्त रहने अथवा उपार्जित/लम्बी अवधि तक अवकाश की स्थिति में समूह ''ग'' के विभागों के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त द्वारा की जायेगी। कृपया भविष्य में तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।**

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–22/वि0प्रो0स0–01/2018 सा0प्र0......................../पटना–15, दिनांक–.............जुलाइ, 2018

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग/वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकाशित गजट की 10 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ह0/–
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–22/वि0प्रो0स0–01/2018 सा0प्र0......................../पटना–15, दिनांक–.............जुलाइ, 2018

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष तथा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–22/वि0प्रो0स0–01/2018 सा0प्र0....9091......./पटना–15, दिनांक–.....10....जुलाई, 2018

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव